इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत निर्देश – 3

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4(78) परावि/पीसी/एमआईएस/ 2015–16/ 690 जयपुर,दिनांक 23.3.17

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 427 दिनांक 23.2.2017 एवं पत्र क्रमांक 664 दिनांक 21.3.2017 के द्वारा इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर का दिनांक 1.4. 2017 से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि:–

1. राज्य स्तर पर अधीक्षण अभियंता(प्रो0) इस सॉफ्टवेयर के प्रभारी अधिकारी तथा एसीपी, पंचायती राज उप प्रभारी अधिकारी होंगे।
2. कम्प्यूटर सैल, पंराज, इस सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन में अधीक्षण अभियंता (प्रो0) के समन्वय से कार्य करेंगे।
3. प्रशासन शाखा, विधि शाखा, आयोजना शाखा, मॉनेटरिंग शाखा, लेखा शाखा व कम्प्यूटर शाखा के प्रभारी अधिकारियों द्वारा अपने–अपने प्रकोष्ठ से एक–एक दक्ष कार्मिक को इस सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए उप प्रभारी अधिकारी बनाया जाये। संबंधित उप प्रभारी अधिकारी अपने मूल सैक्शन में ही कार्य करेंगे परंतु सॉफ्टवेयर में प्रभारी/उप प्रभारी अधिकारी द्वारा इस विषय में संबंधित अपेक्षित कार्यवाही को प्रथम प्राथमिकता से निष्पादित करेंगे एवं संबंधित प्रकोष्ठ की आवश्यकतानुसार प्रगति विश्लेषण/कमियों से/सुझावों/चाही गई सूचना से अधीक्षण अभियंता (प्रो0) को अवगत करायेंगे।
4. मुख्यालय के सभी अधिकारीगण अपनी शाखा से संबंधित क्रियाकलापों की नियमित समीक्षा इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित करेंगे एवं सॉफ्टवेयर की कमियों/आवश्यक सुझावों से अधीक्षण अभियंता (प्रो0) को लिखित/ईमेल से अवगत करायेंगे

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वैक्तिक सचिव, मा0 मंत्री महोदय, ग्राविपंराज
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. समस्त अधिकारीगण, पंराज, मुख्यालय

अधीक्षण अभियन्ता